राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई–33/लै.टे./(एफ–680)/2019/251 दिनांक 22/04/19

आदेश

श्री जगदीश प्रसाद धोबी, लैब टेक्नीशियन स्थानान्तरणाधीन ने अभ्यावेदन दिनांक 06.03.2019 के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका सख्या 2444/2019 जगदीश प्रसाद धोबी बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2019 की प्रति संलग्न कर आदेश की पालना में स्थानान्तरण आदेश दिनाक 29.06.2018 को निरस्त करते हुये यथावत लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थापित रखे जाने बाबत् निवेदन किया है।

निदेशालय के आदेश क्रमांक अराज/सामान्य/2018/597 दिनांक 29.06.2018 के क्रम संख्या 102 पर अकितानुसार जगदीश प्रसाद, लैब टेक्नोशियन का स्थानान्तरण सिटी डिस्पेंसरी पुरानी बस्ती, जयपुर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जावल (सिरोही) में किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्व याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2444/2019 जगदीश प्रसाद धोबी बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2019 निम्नानुसार है:–

"Counsel for the petitioner submitted that Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal vide its order dated 9.8.2018 inthe petitioner's appeal No. 2340/2018 against his transfer orderdated 29.6.2018, directed that on the representation being filed by the petitioner before the competent authority, it be disposed of by a speaking order. Counsel submitted that despite therepresentation having been thereafter filed by the petitioner, it has not yet been addressed by the Addl. Director (Admn.), Medicaland Health Department. He submitted that the petitioner would be satisfied if the petition is disposed of directing the Addl. Director (Admn.) Medical and Health Department to dispose of the said representation, as required by the Tribunal, within a period of fourweeks from the date of presentation of certified copy of this order

The petitioner's prayer is innocuous.This petition is therefore, disposed of directing the Addl. Director (Admn.) to dispose of the petitioner's representation made pursuant to the order dated 9.8.2018 passed by Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal in appeal No. 2340/2018 within a period of four weeks from the date of presentation of certified copy of this order"

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं को सरवाईकल अस्थमा पाईल्य रोग इत्यादि से पीडित होना बताया है जिसमें तुरन्त चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है के साथ अन्य पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है। निदेशालय के आदेश क्रमांक 597 दिनांक 29.06.2018 की पालना मे क्रम सख्या 101 पर वर्णित श्री आरिफ मोहम्मद, लैब टेक्नीशियन ने याचिकाकर्ता के स्थान पर सिटी डिस्पेन्सरी पुरानी बस्ती, जयपुर में कार्यग्रहण कर लेने के कारण लैब टेक्नीशियन का पद रिक्त नही होने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक 597 दिनांक 29.06.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जाना सम्भव नही है।

अतः राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर मे दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका सख्या 2444/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2019 के परिपेक्ष्य में याचिकाकर्ता श्री जगदीश प्रसाद धोबी, लैब टेक्नीशियन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनाक 06.03.2019 को एतद् द्वारा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई–33/लै.टे./(एफ–680)/2019/251 दिनांक 22/04/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है –

1. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम/सिरोही।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सिटी डिस्पेंसरी पुरानी बस्ती जयपुर/प्रा.स्वा.केन्द्र, जावल, सिरोही।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. श्री जगदीश प्रसाद धोबी, लैब टेक्नीशियन स्थानान्तरणाधीन को पालनार्थ।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर